<u>न्यायालय :-श्रीमती वन्दना राज पाण्ड्य, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक</u> <u>मजिस्ट्रेट, अंजड् जिला —बड्वानी (म.प्र.)</u>

<u>आपराधिक प्रकरण कमांक 154/2010</u> संस्थित दिनांक—26.04.2010

म.प्र. राज्य द्वारा-आरक्षी केन्द्र अंजड़, जिला बड़वानी (म.प्र.)

..... अभियोगी

वि रू द्व

- जियालाल पिता सीताराम, उम्र 34 वर्ष,
 निवासी ग्राम मण्डवाड़ा (म.प्र.)
- चरण सिंह पिता रामलाल, उम्र 36 वर्ष, निवासी ग्राम – कुन्दामाल (कालापानी) थाना ठीकरी, जिला – बड़वानी (म.प्र.)

...... अभियुक्तगण

राज्य द्वारा	_	श्री अकरम मंसूरी ए.डी.पी.पी.ओ. ।
अभियुक्त द्वारा	_	श्री आर.के. श्रीवास अधिवक्ता।

——:: नि र्ण य ::—— (आज दिनांक 30/10/2017 को घोषित)

- 01. आरोपी जियालाल के विरूद्ध पुलिस थाना ठीकरी के अपराध क्रमांक 77/2010 के आधार पर दिनांक 07.04.2010 को समय शाम को 07:30 बजे स्थान लखनगांव में लोकमार्ग पर वाहन मोटरसाईकिल रजि. क. एम.पी. 46 एम. 2358 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण तरीके से चलाकर प्यारीबाई को उपहित तथा कुंवर सिंह को घोर उपहित कारित करने तथा उक्त वाहन को बिना बीमा कराये लोक मार्ग पर चलाने के लिये भा.द.वि. की धारा—279, 337(2शीर्ष), 338 तथा मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 146/196 का अभियोग हैं तथा आरोपी चरनसिंह पर उक्त मोटरसाईकिल का स्वामी होते हुये उक्त वाहन बिना बीमा कराये आरोपी जियालाल को चलाने के किये देने के लिये मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 146/196 का अभियोग है।
- **02.** प्ररकण स्वीकृत तथ्य यह है कि पुलिस ने आरोपीगण को गिरफ्तार किया था।
- 03. अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 07.04.2010 धुलिया ने थाना अंजड़ में आरोपी जियालाल के विरूद्ध यह प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाई थी कि वह अपने परिवार के साथ मजदूरी करने लखन गांव के पास अंजड़ ठीकरी मार्ग पर बन रही पूलियां पर आया था उसके साथ छोटा भाई कुंवर सिहं और उसकी पत्नी प्यारीबाई भी मजदूरी करने आये थे। शाम लगभग 07:30 बजे वे लोग खाना खा कर सोने की तैयारी कर

रहे थे कि एक मोटरसाईकिल को उसका चालक तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक से चला कर लाया तथा कुंवर सिंह और प्यारीबाई के उपर चटा दिया जिससे उसके भाई का सीधा हाथ टूट गया शरीर पर दोनों हाथ पैर में चोटें आयी। प्यारीबाई को भी सिर, हाथ और पैर में चोटें आयी मोटरसाईकिल वाला भी वहीं गिर गया। उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम जियालाल निवासी मण्डवाडा का बताया उसकी मोटरसाईकिल टी.वी.एस. कंपनी की थी उसका नम्बर नहीं मालूम उसका छोटा भाई और प्यारी बाई को लेकर रिपोर्ट करने आया है। मौके पर ध्यानसिंह और शोभाराम थे। धुलिया की रिपोर्ट के आधार पर उक्त अपराध दर्ज कर आहतों का मेडिकल परीक्षण कराया गया। नक्शा मौका बनाया गया। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये। उक्त मोटरसाईकिल उसके दस्तावेज तथा आरोपी चालक की अनुज्ञप्ति जप्त करके विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

04. उक्त अनुसार आरोपी जियालाल पर का भा.द.वि की धारा— 279, 337, 338 तथा मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 146/196 का तथा आरोपी चरणलाल पर मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 146/196 अभियोग लगाये जाने पर आरोपीगण ने अपराध से इंकार कर विचारण चाहा, उनका अभिवाक् लिखा गया। द.प्र.सं. की धारा 313 के अंतर्गत किये गये परीक्षण में आरोपीगण ने स्वयं को निर्दोष होना बताया गया किन्तु बचाव में किसी साक्षी का परीक्षण नहीं कराया गया।

05. विचारणीय प्रश्न निम्न उत्पन्न होते है:-

₮.	विचारणीय प्रश्न
1	क्या आरोपी जियालाल ने दिनांक 07.04.2010 को समय शाम को 07:30 बजे स्थान लखनगांव में लोकमार्ग पर वाहन मोटरसाईकिल रजि. क. एम. पी. 46 एम. 2358 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण तरीके से चलाकर कुंवर सिंह और प्यारीबाई का जीवन संकटापन्न किया ?
2	क्या आरोपी ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन मोटरसाईकिल रजि. क. एम.पी. 46 एम. 2358 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण तरीके से चलाकर कुंवर सिंह, प्यारीबाई को उपहति कारित की ?
3	क्या आरोपी जियालाल ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन मोटरसाईकिल रजि. क. एम.पी. 46 एम. 2358 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण तरीके से चलाकर कुंवर सिंह को घोर उपहति कारित की ?
4	क्या आरोपी जियालाल ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन मोटरसाईकिल रजि. क. एम.पी. 46 एम. 2358 को लोक मार्ग पर बिना बीमा कराये हुये चलाया ?
5	क्या आरोपी चरणसिंह ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन मोटरसाईकिल रजि. क. एम.पी. 46 एम. 2358 को लोक मार्ग पर बिना बीमा कराये हुये जियालाल को चलाने के लिये दिया ?

—:<u>सकारण निष्कर्षः—</u>

विचारणीय प्रश्न कमांक 1,2,3 का निराकरण :-

06. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में धूलसिंह (अ.सा.०1) का कथन है कि वह

आरोपी जियालाल को जानता है। घटना लगभग दो—ढ़ाई वर्ष पूर्व की रात्रि लगभग 08:00 बजे की है। घटना वाले दिन वह ध्यानिसंह, शोभाराम तथा अन्य 15 मजदूर बैठे थे तभी दवाना की ओर से आरोपी जियालाल मोटरसाईकिल लेकर आया था उसने कुंवर सिंह और उसकी पत्नी को टक्कर मार दी। कुंवर सिंह का हाथ टूट गया। घटना की रिपोर्ट उसने थाना अंजड पर की थी। पदर्श पी—1 की रिपोर्ट पर साक्षी ने अपना अंगूठा निशानी लगाना स्वीकार किया। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि उसे गाड़ी का नम्बर नहीं मालूम है। उसने पुलिस को गाड़ी का नम्बर नहीं लिखाया था। कौन सी गाड़ी है, यह भी नहीं लिखाया था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि वह घटना दिनांक को आरोपी को नहीं पहचानता था उसका नाम भी नहीं जानता था और उसको सामने आने पर नहीं पहचानता था। उसने पदर्श पी—1 की रिपोर्ट में ए से ए भाग पर आरोपी का नाम और बी से बी भाग पर मोटरसाईकिल कंपनी का नाम नहीं बताया था। उसने पुलिस को प्रदर्श डी—1 का ए से ए भाग का कथन नहीं दिया था।

- 07. शोभाराम (अ.सा.02) ने भी धुलिसंग (अ.सा.01) के कथन का समर्थन करते हुये आरोपी द्वारा रात्रि लगभग 08:00 बजे मोटरसाईकिल से कुंवर सिंह और उसकी पत्नी को टक्कर मारने के संबंध में तथा कुंवर सिंह का हाथ टूट जाने के संबंध में कथन किये हैं। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि उस दिन अंधेरी रात थी। उसने मोटरसाईकिल चालक जियालाल को घटना के दिन नहीं देखा था ना पहचाना था और ना उसका नाम मालूम है। साक्षी ने पुलिस को प्रदर्श डी-2 का कथन देने से भी इंकार किया है।
- 08. कुंवर सिंह (अ.सा.03) तथा प्यारीबाई (अ.सा.04) का कथन है कि 3-4 वर्ष पूर्व रात के समय लगभग 08:00 बजे 20 मजदूर सड़क से लगभग 100-150 फीट की दूर पर रूके थे। दवाना तरफ से एक व्यक्ति मोटरसाईकिल चलाकर लाया और उन्हें टक्कर मार दी जिससे उन्हें चोटें आयी। कुंवर सिंह अ.सा.03 का यह भी कथन है कि उसे साथ वालों ने मोटरसाईकिल चालक का नाम जियालाल बताया था। घटना की रिपोर्ट धुलिया ने की थी। साक्षी का यह भी कथन है कि मोटरसाईकिल चालक तेज गित से चलाकर लाया उसने नहीं देखा था। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि घटना वाली रात अंघरे रात थी उसने मोटरसाईकिल की टक्कर मारने वाले को नहीं देखा था और उसका नाम नहीं जानता था। प्यारीबाई अ.सा.04 ने अभियोजन के द्वारा सूचक प्रश्न पूछने पर इस सुझाव को स्वीकार किया कि आरोपी मोटरसाईकिल को तेज गित से चला रहा था इस कारण मोटरसाईकिल से टक्कर उनको लग गयी। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि उसने मोटरसाईकिल से टक्कर मारने वाले को नहीं देखा, उसका नाम भी नहीं जानते। पुलिस ने उससे कोई पूछताछ भी नहीं की थी। मोटरसाईकिल वाला वाहन कैसे चला रहा था उससे नहीं मालूम।
- 09. सूरज (अ.सा.05) का कथन है कि 05 वर्ष पूर्व वे लोग पूलियां पर मजदूरी का काम कर रहे थे। रात्रि लगभग 08:00 बजे 20 मजदूर रोड़ से लगभग 50—60 फीट की दूरी पर रूके थे तभी दवाना तरफ से एक व्यक्ति जिसका नाम जियालाल था, मोटरसाईकिल को तेजी से चलाकर लाया तथा कुंवर सिंह और प्यारीबाई को टक्कर मार दी जिससे प्यारीबाई को पीठ में और कुंवर सिंह को हाथ में चोट आयी थी। अभियोजन की ओर से सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि दुर्घटना के बाद उसने आरोपी को घटना स्थल पर देखा था। साक्षी ने स्पष्ट किया कि उसके साथ वालों से बाद में मालूम हुआ था कि टक्कर मारने वाले व्यक्ति का नाम जियालाल है जो तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक मोटरसाईकिल चला कर लाया था तथा कुंवर सिंह और प्यारीबाई को टक्कर मार दी। बचाव पक्षी की ओर से किये गये प्रतिरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि घटना की रात अंधेरी

रात थी। उसने मोटरसाईकिल की टक्कर मारने वाले व्यक्ति को नहीं देखा था।

- 10. गजेन्द्र सिंह (अ.सा.06) का कथन है कि दिनांक 07.04.2010 को थाना अंजड़ में फरियादी धुलिया ने आकर मोटरसाईकिल चालक जियालाल के विरूद्ध तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक मोटरसाईकिल चलाकर कुंवर सिंह और प्यारीबाई को टक्कर मारने के संबंध में प्रदर्श पी-1 की रिपोर्ट दर्ज करायी थी जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिरीक्षण में साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि फरियादी ने प्रदर्श पी-1 की रिपोर्ट नहीं लिखाई थी अथवा फरियादी ने रिपोर्ट में आरोपी का नाम नहीं लिखवाया था।
- 11. मोहसीन (अ.सा.०७) का कथन है कि दिनांक 16.04.2010 को थाना अंजड के अपराध कमांक 77 / 10 में जप्त मोटरसाईकिल नम्बर एम.पी.४६ एम. 2358 का यांत्रकीय परीक्षण कर प्रदर्श पी—2 का प्रतिवेदन दिया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि उक्त लिखापढी थाने पर की गई थी।
- 12. डॉ. जे.पी. पण्डित (अ.सा.08) का कथन है कि दिनांक 07.04.2010 को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अंजड में थाना अंजड के आरक्षक अशोक द्वारा लाने पर आहत प्यारीबाई और कुंवर सिंह का मेडिकल परीक्षण करने पर उन्हें प्रदर्श पी—2 व प्रदर्श पी—3 में दर्शित चोटें होना पायी थी तथा कुंवर सिंह का एक्स—रे परीक्षण करने पर बाये हाथ की हड्डी में फेक्चर होना पाया था जिसका परीक्षण प्रतिवेदन प्रदर्श पी—5 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है।
- 13. कमल सिंह (अ.सा.०९) का कथन है कि दिनांक 07.04.2010 को थान अंजड़ के अपराध कमांक 77/2010 की विवेचना के दौरान उसने आहत कुंवर सिंह, प्यारीबाई और साक्षीगण के कथन उनके बताये अनुसार लिये थे। उसने नक्शा मौका प्रदर्श पी—6 का बनाया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है उसने आरोपी के पेश करने पर मोटरसाईकिल का रजिस्ट्रेशन और आरोपी की चालक अनुज्ञप्ति प्रदर्श पी—8 के अनुसार जप्त की थी जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उसे आहत व्यक्तियों और साक्षियों ने कोई कथन नहीं दिये हैं अथवा वह असत्य कथन कर रहा है।
- 14. इस प्रकार परिक्षीत किसी भी साक्षी ने आरोपी जियालाल की पहचान घटना दिनांक, समय और स्थान पर मोटरसाईकिल को तेज गित या लापरवाहीपूर्वक से चलाकर उसकी टक्कर कुंवर सिंह और प्यारीबाई को मार कर प्यारीबाई को उपहित और कुंवर सिंह को घोर उपहित कारित करने के संबंध में कोई कथन नहीं किये हैं यहा तक कि रिपोर्टकर्ता धुलिसंग (अ.सा.01) ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया कि उसने प्रदर्श पी-1 की रिपोर्ट में आरोपी का नाम नहीं लिखाया था वह आरोपी को नहीं पहचानता है। शेष अभियोजन साक्षियों ने भी घटना के समय अंधेरा होने के कारण आरोपी को नहीं देखना स्वीकार किया है तो ऐसी स्थिति में यह प्रमाणित नहीं होता कि आरोपी जियालाल ने घटना दिनांक, स्थान पर मोटरसाईकिल नम्बर एम.पी.46 एम 2358 को लोक मार्ग पर उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर प्यारीबाई और कुंवर सिंह का जीवन संकटापन किया तथा प्यारीबाई को उपहित एवं कुंवर सिंह को गंभीर उपहित कारित की। अतः उक्त विचारणीय प्रशन प्रमाणित नहीं होते हैं।

विचारणीय प्रश्न कमांक 4,5 का निराकरण :-

- 15. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में कमल सिंह (अ.सा०९) का कथन है कि विवेचना के दौरान दुर्घटना कारित करने वाली मोटरसाईकिल का बीमा नहीं होने से मोटरयान अधिनियम की धारा 146/196 बढ़ाई गयी लेकिन विचारणीय प्रश्न कमांक 1 से 3 की विवेचना में यह प्रमाणित नहीं हुआ कि आरोपी ने उक्त दिनांक, स्थान व समय पर मोटरसाईकिल कमांक एम.पी.46 एम. 2358 को लोक मार्ग पर वाहन चलाया ऐसी स्थिति में आरोपी द्वारा उक्त दिनांक, स्थान व समय पर उक्त वाहन बिना बीमा कराये चलाना प्रमाणित नहीं हुआ। अतः आरोपीगण के विरूद्ध मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 146/196 का अपराध भी प्रमाणित नहीं होता है।
- 16. उक्त विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहूंचता है कि अभियोजन अपना मामला आरोपीगण के विरूद्ध संदेह से परे प्रमाणित करने में पूर्णतः असफल रहा है। अतः यह न्यायालय आरोपी जियालाल पिता सीताराम, उम्र— 34 वर्ष, निवासी ग्राम—मण्डवाड़ा (म.प्र.) को भा.द.वि. की धारा—279, 337, 338 तथा मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 146/196 के अपराध से तथा आरोपी चरण सिंह पिता रामलाल, उम्र— 36 वर्ष, निवासी ग्राम— कुन्दामाल (कालापानी) थाना ठीकरी, जिला—बड़वानी (म.प्र.) मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 146/196 संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त घोषित करता हैं। प्रकरण में जप्त मोटर जिसका रजि. क. एम.पी. 46 एम. 2358 वाहन के दस्तावेज एवं आरोपी की चालक अनुज्ञप्ति सुपुर्दगी पर है। अपील अवधि पश्चात् निरस्त समझा जाए, अपील होने की दशा में माननीय अपील न्यायालय के आदेश का पालन किया जाए।
- 17. आरोपीगण के जमानत-मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं ।
- **18.** आरोपीगण का द.प्र.सं. की धारा—428 के अंतर्गत निरोध की अवधि का प्रमाण—पत्र बनाया जाए ।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित, हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया ।

मेरे उद्बोधन पर टंकित किया।

सही / –
(श्रीमती वंदना राज पाण्ड्य)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
अंजड़, जिला बड़वानी म.प्र.

सही / —
(श्रीमती वंदना राज पाण्डे्य)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
अंजड, जिला बडवानी म.प्र.